न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2017

1. लखवीसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरकीरतकौर पत्नि जगदीपसिंह पुत्र श्री लखवीरसिंह जाति जटसिख निवासी गोनेयाना तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)
2. नमदीप कौर पत्नि लखवीरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री तेजासिंह सन्धु अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.05.2017

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी की और से उपरोक्त अनवान का वाद वादी की और से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है वाद में दर्ज वजूवात प्रार्थना पत्र का आधार है वाद के कानूनी व वाके आती तौर पर स्वीकार होनें की पूरी पूरी उम्मीद है तथ्यों की पुनरावृति ना हो इसलिये वाद पत्र के तथ्यों को प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा जावे।

तहसील व श्रीगंगानगर के चक 8 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा का खाता संख्या 82/10, 18 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय बाग में से 0.424 हैक्टर, खाता संख्या 6/8 का मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 0.506 हैक्टर एवम् इसी चक 9 वाई का खाता संख्या 85/23 का मुरब्बा नम्बर 64 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी भूमि में से निस्फ हिस्सा अर्थात 0.632 हैक्टर एवम् चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा का खाता संख्या 3/3 का मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.325 हैक्टर में से 1.151 हैक्टर नहरी तादादी कुल 2.713 हैक्टर कृषि भूमि नहरी मय बाग दर्ज रिकार्ड है जिसका प्रार्थी/वादी तन्हा खाजेदार मालिक एवम् काबिज काश्तकार है। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है उक्त वर्णित कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी/वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर बतौर खातेदार प्रार्थी/वादी काबिज काश्त है एवम् मौका पर प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है।

प्रार्थी की नशे की बेसुध अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थीया संख्या 2 नें दिनांक 13.05.2015 को ही गवाहान के साथ साजिश कर बैयनामा अरजीतकौर के पक्ष में पंजीयन होनें के उपरान्त कुछ और औपचारिकतायें करना कथन करते हुए प्रार्थी से उसकी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 2

तमाम कृषि भूमि चल एवम् अचल सम्पत्ति बैक एफ.डी.आर. खाता संचालन एवम् प्रार्थी की कार का मुख्त्यारनामा आम अपनें नाम से तहरीर करवाकर पंजीकृत करवा लिया और इस की गई कार्यवाही का कोई ज्ञान प्रार्थी को नहीं होने दिया। तहसील कर्मचारी भी अप्रार्थी संख्या 2 से दुर्भिःसन्धि किये हुए थे। इसलिये उनके द्वारा भी एक दस्तावेज के निष्पादन के उपरान्त प्रार्थी को यह नहीं बताया कि अब उसके द्वारा मुख्तयारनामा का निष्पादन किया जा रहा है। एवम् ना ही प्रार्थी के दस्तावेज की नोईयत से अवगत करवाया गया। प्रार्थी को बैयनामा की औपचारिकताओं के मुगालते में रखकर अप्रार्थीया संख्या 2 व तहसील कर्मचारियों के कथनों पर विश्वास कर प्रार्थी से हस्ताक्षर करवाये गये। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि अप्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा अपनें पक्ष में कूटरचना से तहरीर करवाये गये पंजीकृत दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम में अप्रार्थीया नें अपनें पक्ष में हर प्रकार से कार्यवाही करनें हेतु सक्षम होना दर्शाकर भूमि को दान देनें की भी अधिकारिता लिखवा ली जो कि विधि विरूद्ध तथ्य है क्योंकि दान पत्र स्नहे की वशीभूत होता है एवम् दान जरिये मुख्त्यार आम दिये जानें का प्रथम तो कोई प्रावधान नहीं है एवम् द्वितीय यदि जरिये मुख्तयारनामा में दानदाता स्पष्ट रूप से यह अंकित करता है कि उसका अमुक के साथ स्नेह है जिसके लिये वह अमुक को अपना मुख्तयार खास इस कार्य को पूर्ण करनें के लिये दिया जाना आवश्यक है अथवा दान धारा 122 से 129 टी.पी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होता है अप्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा समस्त विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर कूटरचना से प्रार्थी को गुमराह कर एवम् मुगालता में रखकर मुख्त्सार आम निष्पादित करवा लिया जिसकी जानकारी होनें पर वादी नें अब इसके निरस्ती की कार्यवाही प्रस्तुत कर दी है, फोटो प्रति मुख्तयारनामा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी की शारीरिक अवस्था एवम् उसके नशे में बेसुध होनें का अनुचित लाभ उठाकर कूटरचित मुख्त्यारनामा के आधार पर विधि विरूद्ध एक नुमायशी दान पत्र दिनांक 05.04.2017 को अप्रार्थीया संख्या 1 जो कि अत्यधिक लालचवश है एवम् येन केन प्रकार से प्रार्थी की सम्पत्ति को हड़प करना चाहती है के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया है। उक्त दस्तावेज दानपत्र दिनांकित 05.04.2017 विधि विरूद्ध नुमायशी एवम् प्रारम्भत शून्य तथा प्रभावहीन दस्तावेज है जिससे कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीया संख्या 1 को वादाधीन कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होते है एवम् दस्तावेज प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर बेअसर एवम् प्रभावहीन दस्तावेज है।

अप्रार्थीया संख्या 1 अत्यन्त ही लालचवश है एवम् येन केन प्रकार से वादाधीन कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपनें नाम से प्रारम्भतः शून्य एवम् प्रभावहीन दस्तावेज के आधार पर दर्ज करवाकर जबरन एवम् बेजा तौर से वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत करनें एवम् असफल होनें की स्थिति में अपनें नाम से भूमि दर्ज करवाकर रहन बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करनें के प्रयास में है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य की जानकारी होते ही उपपंजीयक कार्यालय से नकुलात हासिल कर अप्रार्थीगण को इस सम्बंध में उलाहना दिया एवम् अप्रार्थीगण से कथन किया कि उसके द्वारा कोई मुखत्यारनामा आम स्वस्थ चित से नहीं किया है एवम् ना ही अप्रार्थीया संख्या 2 को कोई विधिक अधिकार प्रार्थी की कृषि भूमि को आगे बिना प्रार्थी की सहमति एवम् जानकारी के दान देनें का अधिकार ही प्राप्त था। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा आपस में साजिश कर जो कार्यवाही की है एवम् जो दस्तावेज आपसी मिली भगत से तैयार किये है उनको प्रारम्भतः शून्य एवम् प्रभावहीन मानते हुए यह घोषणा करवा लेवे कि कथित दान पत्र की कोई महत्तवता नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अत्यधिक लालचवश हो चुकी थी के द्वारा

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

दिनांक 15.04.2017 को ऐसा करनें से स्पष्ट इन्कार कर दिया एवम् अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी है, कि वह हर सम्भव प्रयास से वादाधीन कृषि भूमि अपनें नाम से दर्ज करवाकर जबरन प्रार्थी से कब्जा प्राप्त करेगी एवम् भूमि अपनें नाम से दर्ज करवाकर अन्यत्र बेचान करेगी अथवा बैक ऋण प्राप्त कर अन्तरण कर देगी। यदि अप्रार्थीया अपनें इस नापाक मन्सूबे में कामयाब हो जाती है, तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी एवम् वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। वादी का वादग्रस्त भूमि पर साधिकार बतौर खातेदार कब्जा काश्त है, वाद के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है, इसलिये वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थीया संख्या 1 वाद के अन्तिम निस्तारण तक वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 8 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा का खाता संख्या 82/10, 18 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय बाग में से 0.424 हैक्टर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा का खाता संख्या 6/8 का मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 0.506 हैक्टर एवम् इसी चक 9 वाई का खाता संख्या 85/23 का मुरब्बा नम्बर 64 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी भूमि में से निस्फ हिस्सा अर्थात 0.632 हैक्टर एवम् चक 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा का खाता संख्या 3/3 का मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.325 हैक्टर में से 1.151 हैक्टर नहरी तादादी कुल 2.713 हैक्टर कृषि भूमि नहरी मय बाग को राजस्व रिकार्ड में प्रारम्भतः शून्य प्रभावहीन एवम् नुमायशी दस्तावेज दान पात्र दिनांकित 05.04.2017 के आधार पर अपनें नाम से दर्ज करवानें एवम् रहन बैय दीगर तरीके से मुन्तकिज करनें में निषेधित रहे तथा मौके का राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि विवाद ग्रस्त भूमि चक 8 वाई खाता संख्या 82/10, 18 के मुरब्बा नम्बर 25 की 1.265 हैक्टर में से 0.424 हैक्टर चक 9 वाई के खाता संख्या 6/8 का मुरब्बा नम्बर 63 की 1.012 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर एवम् इसी चक 9 वाई का खाता संख्या 85/23 के मुरब्बा नम्बर 64 की 1.265 हैक्टर में से 0.632 हैक्टर एवम् चक 10 वाई के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.325 हैक्टर में से 1.151 हैक्टर नहरी तादादी कुल 2.713 हैक्टर नहरी भूमि को रहन बैय एवम् दीगर तरिके से मुन्तकिल करनें से निषेध रहे। तथा आगामी पेशी तक रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज भूमि स्वीकार है लेकिन इसके साथ यह भी अंकित करना जरूरी है कि प्रार्थी नें इससे पूर्व 0.417 हैक्टर चरणजीतसिंह को व 1.252 हैक्टर हरजिन्द्र कौर का व 0.759 हैक्टर भूमि अमरजीत कौर पुत्री टेकसिंह को विक्रय कर दी है, कुल 10.00 बीघा भूमि एक वर्ष में खुर्द बुर्द कर दी है और इसके अतिरिक्त इस भूमि पर 14 लाख रूपये बैक से ऋण ले रखा था जिसको अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चुगता किया गया। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने से पहले खाता बेबाक करना जरूरी है तभी इन्तकाल अप्रार्थी के नाम हो सका। अब खाता चुकता होने के बाद प्रार्थी को उसकी बहन के रिश्तेदारों नें मिसगाईड करके अपनें साथ लेजाकर बन्धक बना लिया है और इसके

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)

हस्ताक्षर अंगूठे घर से करवाकर दावा पेश क दिया है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन दर्ज किये है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है स्वीकार नहीं है जब सभी रिश्तेदारों नें बैठकर प्रार्थी को समझाया लेकिन प्रार्थी अपनी आदतो से बाज नहीं आया तो रिश्तेदारों की सहमति से प्रार्थी का मुख्त्यारनामा बरोबरू गवाहान दिनांक 13.05.2015 को उसके हक में तहरीर करवाया और अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जीवनयापन की सुरक्षा करते हुए अपनी बेटी के नाम से दान पत्र करवा दिया और जो जमीन पर लोन था उसका पैसा रिश्तेदारों से लेकर बेबाक किया अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के एक ही बेटी है जो भिन्न भिन्न समय पर आकर दोनों की सेवा करती है इसी स्नेह भावना से प्रेरित होकर दान पत्र किया गया है आवेदन पत्र मे मिथ्या कथन दर्ज किये गये है। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है स्वीकार नहीं है मुख्त्यारनामे के रोज 4 बीघा की जमीन की रजिस्ट्री अमरजीत कौर पुत्री टेकसिंह के नाम से रोबरू गवाहान करवाई गई और उसी दिन ही मुख्तयारनामा लिखा गया उसके बाद 05.04.2017 को दान पत्र अपनी बेटी के नाम से किया गया है जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको निरस्त करनें का अधिकार सिविल कोर्ट को है राजस्व न्यायालय को नही है जब राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार ही नहीं तो अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी नहीं दिया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य मनघड़न्त एवम् कपोल कल्पित होनें के कारण स्वीकार नहीं है प्रार्थी के रिश्तेदारों को जब पता चल गया गया कि ऋण की राशी अप्रार्थी संख्या 1 नें चुका दिये है, तो यहां से इन्तकाल रूकवानें के लिये झूठा दावा पेश करके स्थगन ले लिया है जो काबिले निरस्ती है अभी तक इन्तकाल भी अप्रार्थी के नाम से नहीं हुआ है तो अन्तरण करनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है प्रार्थी द्वारा पूर्व में तीन बार 10 बीघा जमीन खुर्द बुर्द कर चुका है जमीन जद्दी जायदाद थी अपना हिस्सा बेच चुका है अब 2.713 हैक्टर भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है जिसका वह खातेदार मालिक है खातेदार मालिक के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पक्ष में न तो सुविधा का सन्तुलन है न ही प्रार्थी को क्षती हो रही है इसकी बजाय अप्रार्थीगण के हक में रजिस्टर्ड दस्तावेज है। जब तक दस्तावेज अप्रार्थी के हक में है। तब तक उसे निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक प्रार्थी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करवाया जा सकता।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2017 को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई दौरान बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा अपनें पक्ष में कूटरचना से तहरीर करवाये गये पंजीकृत दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम में अप्रार्थीया नें अपनें पक्ष में हर प्रकार से कार्यवाही करनें हेतु सक्षम होना दर्शाकर भूमि को दान देनें की भी अधिकारिता लिखवा ली जो कि विधि विरूद्ध तथ्य है क्योंकि दान पत्र स्नहे की वशीभूत होता है एवम् दान जरिये मुख्त्यार आम दिये जानें का प्रथम तो कोई प्रावधान है, ही नहीं एवम् द्वितीय यदि जरिये मुख्तयारनामा में दानदाता स्पष्ट रूप से यह अंकित करता है कि उसका अमुक के साथ स्नेह है जिसके लिये वह अमुक को

लगातार 5

अधिकारी (राजस्व)

अपना मुख्तयार खास इस कार्य को पूर्ण करनें के लिये दिया जाना आवश्यक है अथवा दान धारा 122 से 129 टी.पी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होता है अप्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा समस्त विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर कूटरचना से प्रार्थी को गुमराह कर एवम् मुगालता में रखकर मुख्त्यार आम निष्पादित करवा लिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर कर भूमि को जरिये दानपत्र मुन्तकिल किया है। जो अप्रार्थी अधिकारी नहीं है। अपनें कथनों की पुष्टि में आर.बी.जे. 2016 पेज 142, 168, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 534, आर.आर.टी. 599 (Supp.) 2014–2015 पेज 599, 2015 (4) CCC 824 (दिल्ली) (डी.बी.), डी.एन.जे (राज.) 2017 (1) 412 की नजीर पेश करते हुए कथन किया कि यदि जरिये मुख्तयारनामा में दानदाता स्पष्ट रूप से यह अंकित करता है कि उसका अमुक के साथ स्नेह है जिसके लिये वह अमुक को अपना मुख्तयार खास इस कार्य को पूर्ण करनें के लिये दिया जाना आवश्यक है, परन्तु ऐसा प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला स्थाई (Confirm) किया जावे।

अप्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया गया कि प्रार्थी को सभी रिश्तेदारों नें बैठकर समझाया लेकिन प्रार्थी अपनी आदतो से बाज नहीं आया तो रिश्तेदारों की सहमति से प्रार्थी का मुख्त्यारनामा बरोबरू गवाहान दिनांक 13.05.2015 को उसके हक में तहरीर करवाया और अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जीवनयापन की सुरक्षा करते हुए अपनी बेटी के नाम से दान पत्र करवा दिया और जो जमीन पर लोन था उसका पैसा रिश्तेदारों से लेकर बेबाक किया अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के एक ही बेटी है जो भिन्न भिन्न समय पर आकर दोनों की सेवा करती है इसी स्नेह भावना से प्रेरित होकर दान पत्र किया गया है। मुख्त्यारनामे के रोज 4 बीघा की जमीन की रजिस्ट्री अमरजीत कौर पुत्री टेकसिंह के नाम से रोबरू गवाहान करवाई गई और उसी दिन ही मुख्तयारनामा लिखा गया उसके बाद 05.04.2017 को दान पत्र अपनी बेटी के नाम से किया गया है जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको निरस्त करनें का अधिकार सिविल कोर्ट को है राजस्व न्यायालय को नही है जब राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार ही नहीं तो अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी नहीं दिया जा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि में आर.आर.डी. 2007 पेज 257, आर.आर.डी. 2008 पेज 627 तथा आर.आर.डी. 2009 पेज 11 की नजीर पेश करते हुए दिनांक 19.04.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में भूमि का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किया गया है, प्रार्थी इस बात से आहत है, कि अप्रार्थीगण द्वारा कूटरचना से प्रार्थी को गुमराह कर एवम् मुगालता में रखकर मुख्त्यार आम निष्पादित करवा लिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर कर भूमि को जरिये दानपत्र मुन्तकिल किया है। जबकि उभयपक्ष के रिश्तेदारों की सहमति से प्रार्थी का मुख्त्यारनामा बरोबरू गवाहान दिनांक 13.05.2015 को उसके हक में तहरीर करवाया और अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जीवनयापन की सुरक्षा करते हुए अपनी बेटी के नाम से पंजीकृत दान पत्र करवा दिया है। मात्र इस कारण से पूर्व में दिनांक 19.04.2017 को प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है, समुचित आधार नहीं होनें के कारण प्रार्थी को पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

पंजीकृत दस्तावेज से दोनों पक्षों के मध्य विवादित भूमि की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है, जब न्यायालय के समक्ष पंजीकृत दस्तावेज का विवाद हो तो न्यायालय पंजीकृत दस्तावेज को ही अधिक महत्त्व देगा।

लगातार 6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

A6

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है जाक पोषणीय नहीं होनें के कारण पूर्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक को 19.04.2017 को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 31.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर